

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गयाजी के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) एवं 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाइल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	स्व० कविन्द कुमार, 50, सरयू महतो, अत्यंत पिछड़ा जाति	प्रियंका कुमारी, (पत्नी)	505, 08.04. 2026	ग्रा०-सुगारीश, पो०-थाना-परैया, प्रखण्ड-परैया, जिला-गयाजी 9955993985	64980 01700 08357 4	PNB, PUNB06 49800	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
02	स्व० कविता कुमारी, 26, राजकुमार शर्मा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	राजकुमार शर्मा, (पति)	507, 08.04. 2026	ग्रा०-बड़की डेल्ला परैया रोड, पो०-आर० एस० गयाजी, थाना-डेल्ला प्रखण्ड-सरद गया, जिला-गयाजी 9110084176	12300 10001 0022	BOB, BARB0 TEKGA Y	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दाई का कार्य
03	स्व० विकी कुमार, 28, सोमनाथ राम, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	निशा कुमारी, (पत्नी)	790, 05.06. 2026	ग्रा०-नेकधी पो०-कर, थाना-प्रखण्ड-कोच, जिला-गयाजी 7519053204	72530 70008 8750	BGB, PUNB0 MBGB0 6	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, सैडी फैक्स में कुरियर का कार्य

कुल :- रु० 2,80,000/-

(दो लाख अस्सी हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-51/2026-844

पटना, दिनांक :- ०३/०३/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, गयाजी/श्रम अधीक्षक, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/2026
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक